

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिंगरौली (म0प्र0)

// ज्ञापन //

क्र0 63/एक-5-2/2010,

सिंगरौली, दिनांक- 09.01.2023

प्रति,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जिला-सिंगरौली (म0प्र0)।

विषय:- आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2023 के संबंध में ।

संदर्भ:- ज्ञापन क्रमांक-118/2022, सिंगरौली, दिनांक 29.12.2023

.....00.....

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक वर्ष 2023 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन पश्चात् आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक 2023 ।

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
सिंगरौली (म0प्र0)

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंगरौली, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक- /सी.जे.एम./2022

सिंगरौली, दिनांक 29.12.2022

**:: आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक 2023 ::**

मैं के.पी. सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंगरौली (म.प्र.) आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक धारा 14(1) और 15(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आपराधिक कार्य विभाजन करता हूँ, जो दिनांक-..... से प्रभावशील होगा :-

| क्र० | न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम  | प्रकरणों का स्वरूप / क्षेत्राधिकार  | रिमार्क |
|------|--|---|---------|
| 1.   | श्री के.पी. सिंह,<br>मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>सिंगरौली, मु० बैढ़न<br>(म.प्र.) | <ol style="list-style-type: none"><li>1. पुलिस थाना विन्ध्यनगर, पुलिस उपथाना जी.आर.पी. (राजकीय रेलवे पुलिस)द्वारा जिला सिंगरौली के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण, (भारतीय रेल अधिनियम के अंतर्गत अपराध को छोड़कर), (धारा 125 दं.प्र.सं. एवं 138 एन.आई.एक्ट, प्रायवेट परिवाद पत्र, मुस्लिम विधि, के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर)(महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित एवं ग्राम न्यायालय से संबंधित उत्पन्न प्रकरणों को छोड़कर)</li><li>2. पुलिस थाना विन्ध्यनगर, लंघाडोल से उत्पन्न होने वाले खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत उत्पन्न समस्त प्रकरण ।</li><li>3. सिविल जिला सिंगरौली के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले सेन्ट्रल एक्साइज एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण ।</li><li>4. नगर निगम सिंगरौली द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण ।</li><li>5. नाप-तौल विभाग द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण ।</li><li>6. सिविल जिला सिंगरौली के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत समिति द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण ।</li><li>7. सिविल जिला सिंगरौली के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले म०प्र० प्रदूषण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण ।</li><li>8. आरक्षी केन्द्र विन्ध्यनगर एवं लंघाडोल के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण ।</li><li>9. आरक्षी केन्द्र विन्ध्यनगर एवं लंघाडोल के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले</li></ol> |         |

|          |   |  |          |
|----------|---|--|----------|
|          |   | <p>एन.डी.पी.एस.एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण ।</p> <p>10. सिविल जिला सिंगरौली के समस्त थानों से उद्भूत होने वाले 50 बल्क लीटर या उससे अधिक अवैध मदिरा से संबंधित प्रकरण एवं आबकारी विभाग द्वारा सिंगरौली न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण ।</p> <p>11. सिविल जिला सिंगरौली के समस्त थानों के धारा- 306 दं0प्र0सं0 के अधीन अभियुक्तों के वायदा माफी के प्रकरण तथा दो वर्ष या इससे अधिक की पूर्व दोषसिद्धि वाले अभियुक्तों से संबंधित प्रकरण ।</p> <p>12. सिविल जिला सिंगरौली के समस्त थानों से उद्भूत होने वाले खारिजी प्रतिवेदन (ई0आर0)</p> <p>13. थाना विन्ध्यनगर एवं लंघाडोल से उद्भूत होने वाले अंतिम प्रतिवेदन ।</p> <p>14. आबकारी विभाग जिला सिंगरौली के वृत्त बैढ़न, मोरवा से उत्पन्न समस्त प्रकरण ।</p> <p>15. सिविल जिला सिंगरौली के समस्त थानों से उद्भूत इण्डियन मेडिकल कौंसिल एक्ट 1996, मध्य प्रदेश आर्युविज्ञान परिषद् अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण ।</p> <p>16. थाना यातायात सिंगरौली से उद्भूत समस्त दांडिक प्रकरण ।</p> <p>17. थाना यातायात सिंगरौली के समस्त खात्मा प्रकरण ।</p> <p>18. परिवहन विभाग क्षेत्रीय कार्यालय सिंगरौली से उद्भूत समस्त दांडिक प्रकरण ।</p> <p>19. परिवहन विभाग क्षेत्रीय कार्यालय सिंगरौली के समस्त खात्मा प्रकरण ।</p> <p>20. पुलिस थाना विन्ध्यनगर एवं लंघाडोल से उत्पन्न समस्त प्रायवेट परिवाद पत्र 156(3) दं.प्र.सं. सहित, (महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित एवं ग्राम न्यायालय से संबंधित उत्पन्न प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>21. ऐसे प्रकरण जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा श्रवण योग्य है, से संबंधित प्रकरण ।</p> | <p>३</p> |
| <p>2</p> | <p>श्री नीरज पवैया,<br/>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br/>श्रेणी, मु0 बैढ़न<br/>जिला-सिंगरौली (म0प्र0)</p> | <p>1. पुलिस थाना माड़ा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र 156(3) दं.प्र.सं. सहित, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p>   |          |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   | <p>भारतीय परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 से संबंधित प्रकरण, एन. डी. पी. एस. एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण, आबकारी एक्ट (50 बल्क लीटर से कम मात्रा) से संबंधित प्रकरण, (महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित उत्पन्न प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>2. थाना माड़ा के समस्त खात्मा प्रकरण।</p> <p>3. मुख्यालय बैढ़न, जिला सिंगरौली (खनिज विभाग द्वारा) समस्त थानों के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 म0प्र0 गौण खनिज अधिनियम 1952 से उत्पन्न समस्त प्रकरण।</p> <p>4. जिला सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न से उद्भूत होने वाले वन अपराध के समस्त प्रकरण।</p> <p>5. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे जाए।</p> |  |
| 3 | श्री अभिषेक कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मु0 बैढ़न, जिला-सिंगरौली (म0प्र0)                         | <p>1. पुलिस थाना बैढ़न के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र 156(3) दं.प्र.सं. सहित, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, भारतीय परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 से संबंधित प्रकरण, एन. डी. पी. एस. एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण, आबकारी एक्ट (50 बल्क लीटर से कम मात्रा) से संबंधित प्रकरण, (महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित उत्पन्न प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>2. थाना बैढ़न के समस्त खात्मा प्रकरण।</p> <p>3. ग्राम न्यायालय से संबंधित उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण।</p> <p>4. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे जाएं।</p>   |  |
| 4 | श्रीमती प्रितांजली सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं किशोर न्यायालय, मु0 बैढ़न, जिला-सिंगरौली(म0प्र0) | <p>1. पुलिस थाना मोरवा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, 156(3) दं.प्र.सं. सहित, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, भारतीय परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 से संबंधित प्रकरण, एन. डी. पी. एस. एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण, आबकारी एक्ट (50 बल्क लीटर से कम मात्रा) से संबंधित प्रकरण,</p>  |  |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  | <p>(महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित उत्पन्न प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>2. थाना मोरवा के समस्त खात्मा प्रकरण।</p> <p>3. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे जाएँ।</p>   | ९ |
| 5 | श्री आयुष कनेल,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मु० बैढन,<br>जिला-सिंगरौली (म०प्र०)      | <p>1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000, धारा 4) के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में सिविल जिला सिंगरौली के समस्त थानों से उद्भूत विधि के विरुद्ध किशोर से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>2. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे जाएँ।</p>   |   |
| 6 | सुश्री शाम्भवी सिंह,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मु० बैढन,<br>जिला-सिंगरौली (म०प्र०) | <p>1. महिला थाना मुख्यालय बैढन जिला सिंगरौली के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र 156(3) दं.प्र.सं. सहित, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, भारतीय परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 से संबंधित प्रकरण, एन. डी. पी. एस. एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण, आबकारी एक्ट (50 बल्क लीटर से कम मात्रा) से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2. महिला थाना के समस्त खात्मा प्रकरण।</p> <p>3. पुलिस थाना नवांनगर के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, भारतीय परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 से संबंधित प्रकरण, एन. डी. पी. एस. एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण, आबकारी एक्ट (50 बल्क लीटर से कम मात्रा) से संबंधित प्रकरण।</p> <p>4. थाना नवांनगर के समस्त खात्मा प्रकरण।</p> <p>5. पुलिस थाना बैढन, मोरवा, नवांनगर, माडा, लंघाडोल एवं विंध्यनगर के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले दहेज प्रतिषेध अधिनियम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के विचारण योग्य महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित समस्त दण्डिक प्रकरण, परिवाद पत्र, धारा 125 से 128 दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (कुटुंब</p> |   |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   | <p>न्यायालय के क्षेत्राधिकार वाले प्रकरणों को छोड़कर) से संबंधित प्रकरण, (ग्राम न्यायालय से संबंधित उत्पन्न प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>6. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे जाएँ ।</p>  |  |
| 7 | <p>सुश्री आयुषी शर्मा,<br/>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br/>श्रेणी, देवसर, जिला<br/>सिंगरौली (म0प्र0)</p> | <p>1. पुलिस थाना जियावन (उन गांव को छोड़कर जो तहसील सिंगरौली में आते हैं) के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, आबकारी एक्ट (50 बल्क लीटर से कम मात्रा), परिवाद पत्र 156(3) दं.प्र.सं. सहित, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, भारतीय परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 से संबंधित प्रकरण, एन0डी0पी0एस0 एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण उत्पन्न प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>2. थाना जियावन के समस्त खात्मा प्रकरण।</p> <p>3. सिविल जिला सिंगरौली, मुख्यालय देवसर से उद्भूत होने वाले वन अपराध के समस्त प्रकरण।</p> <p>4. मुख्यालय देवसर के (खनिज विभाग द्वारा) समस्त थानों के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 म0प्र0 गौण खनिज अधिनियम 1952 से उत्पन्न समस्त प्रकरण।</p> <p>5. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।</p> |  |
| 8 | <p>श्री हर्ष ठाकुर,<br/>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br/>श्रेणी, देवसर, जिला<br/>सिंगरौली (म0प्र0)</p>    | <p>1. पुलिस थाना सरई के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, आबकारी एक्ट (50 बल्क लीटर से कम मात्रा), परिवाद पत्र 156(3) दं.प्र. सं. सहित, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, भारतीय परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 से संबंधित प्रकरण, एन0डी0पी0एस0 एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण, (महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित उत्पन्न प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>2. थाना सरई के समस्त खात्मा प्रकरण।</p> <p>3. पुलिस थाना गढ़वा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, आबकारी एक्ट (50 बल्क लीटर से कम मात्रा), परिवाद पत्र 156(3) दं.प्र. सं. सहित, आवश्यक वस्तु अधिनियम,</p>  |  |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  | <p>खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, भारतीय परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 से संबंधित प्रकरण, एन0डी0पी0एस0 एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण, (महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित उत्पन्न प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>4. थाना गढ़वा के समस्त खात्मा प्रकरण।</p> <p>5. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।</p>  |  |
| 9  | श्रीमती तनवी माहेश्वरी ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर, जिला सिंगरौली (म0प्र0) | <p>1. पुलिस थाना बरगवां (उन गांव को छोड़कर जो तहसील सिंगरौली में आते हैं) के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, आबकारी एक्ट (50 बल्क लीटर से कम मात्रा), परिवाद पत्र 156(3) दं.प्र.सं. सहित, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, भारतीय परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 से संबंधित प्रकरण, एन0डी0पी0एस0 एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण, (महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित उत्पन्न प्रकरणों को छोड़कर)।</p> <p>2. थाना बरगवां के समस्त खात्मा प्रकरण।</p> <p>3. पुलिस थाना बरगवां, सरई, जियावन, चितरंगी एवं गढ़वा से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट के विचारण योग्य महिलाओं से संबंधित समस्त दाण्डिक प्रकरण एवं संबंधित थाने के धारा 125 से 128 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र, मुरिलम विधि के अंतर्गत प्रस्तुत भरण पोषण के आवेदन पत्र, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण (तहसील देवसर, चितरंगी, सरई से उद्भूत होने वाले प्रकरण जो थाना चितरंगी, गढ़वा, बरगवां, जियावन और सरई थाने के मामले)।</p> <p>4. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।</p> |  |
| 10 | श्री देवांश अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर, जिला सिंगरौली (म0प्र0)          | <p>1. पुलिस थाना चितरंगी (उन गांव को छोड़कर जो तहसील सिंगरौली में आते हैं) के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, आबकारी एक्ट (50 बल्क लीटर से कम मात्रा), परिवाद पत्र 156(3) दं.प्र.सं. सहित, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, भारतीय</p>  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 से संबंधित प्रकरण, एन0डी0पी0एस0 एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2. थाना चितरंगी के समस्त खात्मा प्रकरण।</p> <p>3. तहसील मुख्यालय देवसर, वृत्त सरई, देवसर के क्षेत्राधिकार से संबंधित आबकारी विभाग (50 बल्क लीटर से कम मात्रा) से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>4. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।</p> |  |
|--|--|--|--|

### नोट—

1. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट (जिन्हें समरी पावर दिया गया है) अपने क्षेत्राधिकारिता में चलित न्यायालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति एवं पूर्व सूचना उपरांत आयोजित करेंगे।
2. स्थानान्तरण की दशा में उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट को वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उनके पूर्व अधिकारी को इस कार्य विभाजन के आदेश से प्राप्त है।
3. अवकाश, स्थानान्तरण एवं अनुपस्थिति इत्यादि की दशा में आवश्यक दाण्डिक कार्य, रिमाण्ड, जमानत, आवश्यक सुपुर्दनामा आदि प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किये जायेंगे जिसकी सूचना सूची में संलग्न है, प्रभार कमशः रहेगा।
4. किसी भी कारण से किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनके प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, संक्षिप्त न्यायिक प्रकरण में, जिसमें अभियुक्त अपराध स्वीकार करना चाहता है, के निराकरण में सक्षम रहेंगे।
5. आरक्षी केंद्र के रिमाण्ड प्रपत्र जो लम्बित हैं, उन्हें संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में प्रेषित किया जावे।
6. लंबित आपराधिक प्रकरण इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।
7. सार्वजनिक अवकाश के दिवसों में आवश्यक दाण्डिक कार्य निष्पादन करने के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर पृथक से आदेश प्रसारित किए जावेंगे।
8. आकस्मिक अवकाश की दशा में न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।
9. धारा 164 द0प्र0स0 के तहत संस्वीकृतियां एवं कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर कमशः द्वितीय प्रभारी एवं फिर पश्चात्वर्ती मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी।
10. जिन न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण हो चुका है और उनके स्थान पर किसी न्यायाधीश की पदस्थापना नहीं हुई है और वह न्यायालय रिक्त है तो मुख्यालय बैढन जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरणों में उनसे संबंधित समस्त वारण्ट, अन्य विधिक कार्यवाहियां, अपील/निगरानी, माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश का परिपालन संबंधी कार्यवाहियां थाना माडा का श्री नीरज पवैया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, थाना बैढन एवं विंध्यनगर का श्री अभिषेक कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन, जिला सिंगरौली, थाना मोरवा का श्रीमती प्रितांजली सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सिंगरौली, एवं

थाना नवानगर महिला थाना का सुश्री शाम्भवी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सिंगरौली के द्वारा संपादित किया जावेगा।

11. तहसील मुख्यालय देवसर में जिन मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो चुका है और उनके स्थान पर किसी न्यायाधीश की पदस्थापना नहीं हुई है और वह न्यायालय रिक्त है तो प्रकरणों में उनसे संबंधित समस्त वारण्ट, अन्य विधिक कार्यवाहियां अपील/निगरानी, माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश का परिपालन संबंधी कार्यवाहियां संबंधित थाना का क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय द्वारा कार्य संपादित की जावेगी।
12. जिला सिंगरौली में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न जन्म या मृत्यु के एक वर्ष पश्चात जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का विधिवत निराकरण करेंगे तथा श्री नीरज पवैया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सिंगरौली अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले आरक्षी केन्द्रों के अतिरिक्त आरक्षी केन्द्र विन्ध्यनगर एवं लंघाडोल से संबंधित आवेदन का निराकरण करेंगे।

अ. लुमोद्रि  
प्रधान

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
सिंगरौली, मुख्या. बैठन (म.प्र.)

(के.पी. सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

--: परिशिष्ट-अ :-

न्यायिक दण्डाधिकारीगण निम्नानुसार धारा 164 द0प्र0स0 के अधीन संस्वीकृतियाँ तथा कथन अभिलिखित करेंगे।

| क्र० | थाना का नाम   | प्रथम प्रभार                            | द्वितीय प्रभार                          | तृतीय प्रभार                    |
|------|---------------|---|---|---------------------------------|
| 1    | कोतवाली बैढन  | श्री नीरज पवैया<br>JMFC                 | श्री अभिषेक कुमार<br>JMFC               | सुश्री शाम्भवी सिंह<br>JMFC     |
| 2    | विध्यनगर      | श्री अभिषेक कुमार<br>JMFC               | श्री नीरज पवैया<br>JMFC                 | सुश्री शाम्भवी सिंह<br>JMFC     |
| 3    | मोरवा         | सुश्री शाम्भवी सिंह<br>JMFC             | श्री नीरज पवैया<br>JMFC                 | श्री अभिषेक कुमार<br>JMFC       |
| 4    | माड़ा         | श्रीमती प्रितांजली सिंह<br>JMFC         | श्री अभिषेक कुमार<br>JMFC               | सुश्री शाम्भवी सिंह<br>JMFC     |
| 5    | लंघाडोल       | श्री अभिषेक कुमार<br>JMFC               | सुश्री शाम्भवी सिंह<br>JMFC             | श्री नीरज पवैया<br>JMFC         |
| 6    | नवांनगर       | श्रीमती प्रितांजली सिंह<br>JMFC         | श्री नीरज पवैया<br>JMFC                 | श्री अभिषेक कुमार<br>JMFC       |
| 7    | आजाक सिंगरौली | सुश्री शाम्भवी सिंह<br>JMFC             | श्री अभिषेक कुमार<br>JMFC               | श्रीमती प्रितांजली सिंह<br>JMFC |
| 8    | महिला थाना    | श्री नीरज पवैया<br>JMFC                 | श्री अभिषेक कुमार<br>JMFC               | श्रीमती प्रितांजली सिंह<br>JMFC |
| 9    | जियावन        | श्रीमती तनवी माहेश्वरी<br>ठाकुर<br>JMFC | श्री देवांश अग्रवाल<br>JMFC             | श्री हर्ष ठाकुर<br>JMFC         |
| 10   | सरई           | श्री देवांश अग्रवाल<br>JMFC             | श्रीमती तनवी<br>माहेश्वरी ठाकुर<br>JMFC | सुश्री आयुषी शर्मा<br>JMFC      |
| 11   | बरगंवा        | सुश्री आयुषी शर्मा<br>JMFC              | श्री हर्ष ठाकुर<br>JMFC                 | श्री देवांश अग्रवाल<br>JMFC     |
| 12   | चितरंगी       | श्री हर्ष ठाकुर<br>JMFC                 | श्रीमती तनवी<br>माहेश्वरी ठाकुर<br>JMFC | सुश्री आयुषी शर्मा<br>JMFC      |
| 13   | गढ़वा         | श्रीमती तनवी माहेश्वरी<br>ठाकुर<br>JMFC | श्री देवांश अग्रवाल<br>JMFC             | सुश्री आयुषी शर्मा<br>JMFC      |


**नोट :-** 1. यदि किसी भी थाना के समक्ष दर्शित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट में से कोई भी उपस्थित नहीं हो तो उसके पश्चात कॉलम में दर्शित थाना के समक्ष दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट, (विचारण का क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर) के पास प्रभार रहेगा।

  
(के.पी. सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

## चार्ज प्रभार

| क्र० | न्यायालय का नाम   | प्रथम प्रभार   | द्वितीय प्रभार  | तृतीय प्रभार  |
|------|---|--|---|---|
| 1    | श्री के.पी. सिंह,<br>मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,<br>बैढन                        | श्री नीरज पवैया,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, बैढन         | श्री अभिषेक कुमार,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, बैढन                | सुश्री शाम्भवी सिंह,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, बैढन              |
| 2    | श्री नीरज पवैया,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, बैढन                  | श्री अभिषेक कुमार,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, बैढन       | श्रीमती प्रितांजली सिंह,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, बैढन          | सुश्री शाम्भवी सिंह,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, बैढन              |
| 3    | श्री अभिषेक कुमार,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, बैढन                | श्री नीरज पवैया,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, बैढन         | सुश्री शाम्भवी सिंह,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, बैढन              | श्रीमती प्रितांजली सिंह,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, बैढन          |
| 4    | श्रीमती प्रितांजली सिंह,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, बैढन          | सुश्री शाम्भवी सिंह,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, बैढन     | श्री नीरज पवैया,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, बैढन                  | श्री अभिषेक कुमार,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, बैढन                |
| 5    | सुश्री शाम्भवी सिंह,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, बैढन              | श्रीमती प्रितांजली सिंह,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, बैढन | श्री अभिषेक कुमार,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, बैढन                | श्री नीरज पवैया,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, बैढन                  |
| 6    | सुश्री आयुषी शर्मा<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, देवसर               | श्री हर्ष ठाकुर,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, देवसर        | श्रीमती तनवी माहेश्वरी<br>ठाकुर,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, देवसर | श्री देवांश अग्रवाल,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, देवसर             |
| 7    | श्री हर्ष ठाकुर,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, देवसर                 | सुश्री आयुषी शर्मा<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, देवसर      | श्री देवांश अग्रवाल,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, देवसर             | श्रीमती तनवी माहेश्वरी<br>ठाकुर,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, देवसर |
| 8    | श्रीमती तनवी माहेश्वरी<br>ठाकुर,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, देवसर | श्री देवांश अग्रवाल,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, देवसर    | सुश्री आयुषी शर्मा<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, देवसर               | श्री हर्ष ठाकुर,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, देवसर                 |
| 9    | श्री देवांश अग्रवाल,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, देवसर             | श्री हर्ष ठाकुर,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>प्रथम श्रेणी, देवसर        | श्रीमती तनवी माहेश्वरी<br>ठाकुर,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, देवसर | सुश्री आयुषी शर्मा न्यायिक<br>मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>देवसर               |

**नोट—** यदि तहसील देवसर के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं तो मुख्यालय बैढन में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर) के पास प्रभार रहेगा।

  
(के.पी. सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

पृ.क्र./ /सी.जे.एम./2022

सिंगरौली, दिनांक :

**प्रतिलिपि:—** माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन पश्चात्

- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सिंगरौली की ओर सादर प्रेषित।

3. माननीय प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम जिला न्यायाधीश मुख्यालय बैढन/देवसर जिला सिंगरौली की ओर सादर प्रेषित।
4. श्री/श्रीमती/सुश्री.....न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिंगरौली मुख्या0 बैढन/देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0,
5. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला सिंगरौली म0प्र0
6. कलेक्टर, जिला सिंगरौली म0प्र0,
7. पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली म0प्र0 की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सिंगरौली जिले के समस्त थाना प्रभारी को सूचित करने का कष्ट करें।
8. जिला अभियोजन अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0,
9. वन मण्डलाधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0,
10. जिला आबकारी अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0,
11. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0,
12. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला सिंगरौली म0प्र0,
13. उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0,
14. श्रम अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0,
15. प्रभारी रेल्वे पुलिस(जी0आर0पी0) उपथाना सिंगरौली म0प्र0,
16. थाना जी0आर0पी0 कटनी म0प्र0
17. नियंत्रक/निरीक्षक नापतौल विभाग, जिला सिंगरौली म0प्र0,
18. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ जिला सिंगरौली मुख्या0 बैढन/देवसर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(के.पी. सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जिला सिंगरौली (म.प्र.)